बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–1/विकास–यो0–245/2026– 543 स्था0/ई0 सं0 पटना, दिनांक– 26 अक्टूबर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु कुल 158.00 लाख (एक करोड़ अनठावन लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु कुल 158.00 लाख (एक करोड़ अनठावन लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत अवयवों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है–

क्र0सं0	कार्य अवयव	सामान्य जाति	
		भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	**विषय शीर्ष– 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान–**		
1.1	विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन	32	158.00
	योग–		**158.00**

3. इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी, संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास, विशेष ईख पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1 'क' एवं 'ख'** के रूप में संलग्न है, के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से किया जायेगा।

4. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुल 158.00 लाख (एक करोड़ अनठावन लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत निम्न शीर्ष से श्रेणीवार विकलनीय होगा–

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	<u>सामान्य वर्ग</u> मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	99.24
2.	मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–201–चीनी मांग संख्या–45 उपशीर्ष–0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852082010103	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	58.76
	योग–		**158.00**

RENTAL VEHICLE 2026-27 (Sanction) 158 lakh-4

Scanned with OKEN Scanner

5. क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा संबंधित जिला नजारत के दर एवं निर्धारित वाहन श्रेणी के अनुरूप वाहन रखा जायेगा। उपयोग के आधार पर पदाधिकारियों को किराये का वाहन पूरे वित्तीय वर्ष 2026–27 (अप्रैल, 26 से मार्च, 27 तक) के लिए अनुमान्य होगा। अतिरिक्त प्रभार वाले पदाधिकारी किसी एक ही कार्यालय को आवंटित वाहन का उपयोग कर सकेंगे। किराये पर रखे जाने वाले वाहन व्यवसायिक रूप से निबंधित होंगे। सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी वाहन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में भाड़े के वाहन के लिए नहीं किया जायेगा।
6. मुख्यालय स्तर पर वाहन पूल में 06 वाहन स्वीकृत किये गये हैं, जिससे मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/निरीक्षण दल/जांच पदाधिकारी/भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों/गन्ना सलाहकारों/माननीय मंत्री, सचिव, ईखायुक्त कोषांग को आवश्यकता के अनुरूप पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए किराये का वाहन सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के अनुमोदन से उपलब्ध कराया जायेगा।
7. क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों को जिला नजारत द्वारा किराये के वाहन के उपयोग हेतु प्रतिमाह निर्धारित कि0मी0 से अधिक भ्रमण पर प्रति कि0मी0 अतिरिक्त भ्रमण हेतु निर्धारित दर पर राशि अनुमान्य होगा। इस हेतु संबंधित पदाधिकारी के द्वारा अतिरिक्त कि0मी0 का संधारण लॉग बुक में किया जाना अनिवार्य होगा।
8. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि0)2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उपलब्ध राशि के अनुसार आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।
9. विषय शीर्षो में कर्णांकित राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।
10. उक्त योजना का व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
11. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–29.09.2026 एवं स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–14.10.2026 को आयोजित बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।
12. राज्यादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास–यो0–245/2026 के पृष्ठ सं0–10/टि0 पर दिनांक–24.10.2026 को प्राप्त है।
13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–245/2026 के पृष्ठ सं0–10/टि0 पर दिनांक–23.10.2026 को प्राप्त है।
14. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

26/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–245/2026– 573 स्व0/ई0/ पटना, दिनांक– 26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बगहा/बेतिया/ मोतीहारी/ गोपालगंज/ सीतामढ़ी/ सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/दरभंगा/ मुजफ्फरपुर/भोजपुर/जमुई/पूर्णियाँ/गयाजी/सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

RENTAL VEHICLE 2026-27 (sanction) 158 lakh-4

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–245/2026– 543 स्वी०/ई०ख०/पटना, दिनांक– 26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा)/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उ0बि0, मुजफ्फरपुर/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–245/2026– 543 स्वी०/ई०ख०/पटना, दिनांक– 26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

RENTAL VEHICLE 2026-27 (sanction) 158 lakh-4

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1 'क'

वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने विपत्र कोड–45–2401001080109 अंतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)		कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य श्रेणी 45–2401001080109		
		भौतिक लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	3	4	5
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	1	5.25000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	1	5.00000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	1	5.55000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	1	5.54600	कोषागार , गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	1	6.00000	कोषागार, सिवान
6	सहायक निदेशक, ईख विकास,सीतामढ़ी	1	6.10000	कोषागार, सीतामढ़ी
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	1	7.56000	कोषागार, समस्तीपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	1	4.22000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	1	6.60000	कोषागार, दरभंगा
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, पुर्णियाँ	1	5.31600	कोषागार, पूर्णियाँ
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	1	5.33800	कोषागार, भागलपुर
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	1	5.64000	कोषागार, सहरसा
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	1	4.15500	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	1	4.85800	कोषागार, गयाजी
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, आरा	1	2.85000	कोषागार, आरा (भोजपुर)
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	1	6.36000	कोषागार, पटना
17	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय	4	12.89700	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	कुल योग	**20**	**99.24000**	

(निन्यानवें लाख चौबीस हजार रू0) मात्र।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1 'ख'

वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)		कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य श्रेणी 45–2852082010103		
		भौतिक लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	3	4	5
1	सहायक ईखायुक्त, उ0बि0, मुजफ्फरपुर	1	5.58000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
2	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	1	6.10000	कोषागार, पटना
3	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया	1	5.50000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
4	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया	1	5.50000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
5	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	1	5.32000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
6	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	1	5.61000	कोषागार , गोपालगंज
7	ईख पदाधिकारी, सिवान	1	1.77500	कोषागार , सिवान
8	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	1	5.23400	कोषागार, समस्तीपुर
9	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	1	5.44000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
10	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा	1	5.35000	कोषागार, दरभंगा
11	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय	2	7.35100	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	कुल योग	**12**	**58.76000**	

(अनठावन लाख छियत्तर हजार रू0) मात्र।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner